

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

12016 P 807-II/16

देविका तिवारी उर्फ सुमई पुत्री
रामशखा पाण्डेय, पत्नी श्री जगन्नाथ
तिवारी, साकिन सरदा तहसील बहरी
जिला सीधी (म.प्र.)

—आवेदिका

विरुद्ध

1. ददीराम पुत्र कामताराम,
2. रामखेलाचन पुत्र कामताराम,
3. ब्रजभूषण पुत्र कामताराम,
4. जगन्नाथ पुत्र कामताराम,
5. रामलखन पुत्र कामताराम,
निवासीगण- ग्राम सतनरा कोठार एवं
बटोली तहसील गोपदबनास जिला
सीधी (म.प्र.)

-----असल अनावेदकगण

6. रामनिहोर पुत्र लल्लाराम,
7. रामविकट पुत्र लल्लाराम,
8. रामसजीवन पुत्र लल्लाराम, समस्त
निवासीगण- ग्राम सतनरा कोठार एवं
बटोली तहसील गोपदबनास जिला
सीधी (म.प्र.)
9. छोहगी उर्फ लोलरिया पुत्री रामशखा
पाण्डेय, निवासी कसिहवा तहसील
गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

---तरतीवी अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील गोपदबनास जिला
सीधी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक
21/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक
21/10/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता,
1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

449

श्री विनीत भागवत ए.एस.
द्वारा आज दि 4-11-16 को
पस्तुत
4-11-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


विनीत भागवत
ए.एस.
ग्वालियर
4-11-16

[Handwritten signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3807-दो/2016 [देविदा/दददीरण] जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रांकों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
09.11.16	<p>आवेदिका अधिवक्ता श्री आर0डी0शर्मा उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 21-10-16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से परिलक्षित होता है कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है । अतः तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ समाप्त किया जाता है कि वे आवेदिका को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देकर आदेश पारित करें।</p>	<p> अध्यक्ष</p>